संख्या-51/2020-ई0ओ0-7/58-2020-310/2015

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 08 अक्टूबर, 2020**

विषयः- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूशन आफ वेजीटेबिल सीड्स-किचन गार्डेन सेट हाईटेक परियोजानान्तर्गत वर्ष 2020-21 में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-206/आर0के0वी0वाई0/मिनिकिट/ 2020-21, दिनांक 25.08.2020, कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1153/12-3-2020 -100(37)/2017टी.सी., दिनांक 19.08.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में एस.एल.एस.सी. से डिस्ट्रीब्यूशन आफ वेजीटेबिल सीड्स- किचन गार्डेन सेट परियोजानान्तर्गत अनुमोदित धनराशि रु0 105.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 30-नान एन.एच.एम. जनपदों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रु0 14.37 लाख (रुपये चौदह लाख सैतीस हजार) की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रु0 मे)

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**लेखाशीर्षक/मानक मद**	**अवमुक्त**	**प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि**
1.	डिस्ट्रीब्यूशन आफ वेजीटेबिल सीड्स- किचन गार्डेन सेट	अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म -800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा0 40-के+रा0)0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूँजीगत योजनायें- (के0 60/रा0 40-के+रा0) 27- सब्सिडी 42- अन्य व्यय	 13.60 0.77	 13.60 0.77
		योग	**14.37**	**14.37**

(रूपये चौदह लाख सैतीस हजार)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक, उद्यान तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(6) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(7) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या -51/2020-ई0ओ0-07(1)/58-2020तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंिषतः-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(5) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in